

5/1303



प्र० २६
(नियम ४क देखिए)



26, अप्र० २०२१ का तारीख

(निर्वाचन क्षेत्र रंग

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटि

के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, काजी वाँद पुत्र/पुत्री/पत्नी काजी डूजहार
दौड़प आयु ३३ वर्ष, जो ६४वीं लोटापाटी-बलाली
का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूं/करती हूं/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं ११५२७९
(ii) पुलिस थाना (थाने) मालूम जिला (जिले) मालूम राज्य मालूम

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है मालूम

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई मालूम

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गये थे मालूम

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं मालूम

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

०१५२७९

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... *MIX-29*

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है..... *MIX-29*

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... *MIX-29*

जिला (जिले).....

राज्य.....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... *MIX-29*

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं..... *MIX-29*

स्थान

तारीख

*MIX-29**12/11/2012**MIX-29*

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

*Nisha Sharma
Advocate
Govt. of Uttarakhand
Haridwar*

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वर्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

MIX-29 स्थान पर आज तारीख *12/11/2012* को सत्यापित किया।

*Nisha Sharma
12/11/2012.*

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर


MIX-29

टिप्पणी - इस प्रकार के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लाभ पहाड़ते हैं, काट दिये जायें।
**NISHA SHARMA
NOTARY ADVOCATE
GOVT. OF UTTARAKHAND
HARIDWAR**

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



Nisha Sharma 29
12/11/12

NISHA SHARMA
NOTARY ADVOCATE
GOVT. OF UTTARAKHAND
HARDWAR

K. K. Sharma
Advocate
Distt. Court Hardwar
HARDWAR

Amrit Singh